मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मध्यप्रदेश में वन अपराधों की स्थिति

(वर्ष 2013)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल

म0प्र0 में वर्ष 2006से 2013 तक घटित वन अपराधों की समीक्षा

प्रस्तावना

म0प्र0 में कुल 94668 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रों में वन हैं, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31 प्रतिशत एवं देश के कुल वन क्षेत्रों का 12 प्रतिशत है। प्रदेश के वनों में सागौन, साल, बीजा, हल्दू, शीशम आदि प्रजातियों की बहुमूल्य काष्ठ पाई जाती हैं। वन क्षेत्रों में कोयला, फर्शी–पत्थर, लौह अयस्क आदि खनिज पदार्थ भी बहुतायत में पाये जाते हैं । यहां के वनों में अनेक प्रकार की जैव विविधता विद्यमान है । इस प्रकार प्रदेश के वन, वन सम्पदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। प्रदेश के कुल 52731 ग्रामों में से 21797 ग्राम वन सीमा से 5 किलोमीटर परिधि के अन्दर स्थित हैं तथा वन ग्राम 893 है। वनों में चराई करने वाले मवेशियों की संख्या लगभग 3.63 करोड़ है । लगभग 30 लाख मवेशी पड़ोसी राज्यों से भी प्रवेश करते हैं। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में वनों के निकट रहने वाले लोग वनों से काटी गई सिरबोझ की लकड़ी के विक्रय से आजीविका प्राप्त करते हैं, जिसका मूल्य लगभग रूपये 250 करोड़ आंका गया है। स्पष्ट है कि प्रदेश के वनों के निकट रहने वाले वासियों की वनों पर निर्भरता अत्यधिक है। बढ़ती जनसंख्या एवं द्रुत औद्योगिकीकरण और विकास के कारण भी वनों पर दबाव बढ़ गया है। लोगों में वन सम्पदा के शोषण की प्रवृति बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के वन अपराध कारित होते रहते हैं ।

प्रदेश में मुख्य वन अपराध मुख्यतः अवैध कटाई, वनोपज का अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध शिकार, आरा मशीन एवं अग्नि दुर्घटनाओं के होते हैं। अभी हाल में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण के लिये वन अपराधियों द्वारा संगठित अपराध करने की प्रवृति बढ़ गई है ताकि वन कर्मचारियों को आतंकित कर वन सम्पदा का नियोजित तरीके से अवैध दोहन किया जा सके। पिछले एक वर्ष में ही प्रदेश 41 घटनाओं में क्षेत्रीय वन अमले से मारपीट की गई है, जो इस बात का द्योतक है कि वन दस्यु/माफिया संगठित होकर वन अपराध कारित करने में लिप्त हैं।

<u>वन सुरक्षा व्यवस्था</u> :–

प्रदेश में वनों की सुरक्षा के लिये 63 क्षेत्रीय वन मण्डल, 10 वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र इकाईयां, 129 उप वन मण्डल, 450 परिक्षेत्र, 1334 उप परिक्षेत्र तथा 7685 बीटों का गठन किया गया है, जिनकी सुरक्षा के लिये क्रमशः वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी, परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र सहायक तथा बीट गार्ड स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो नियमित रूप से वनों का भ्रमण कर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अधिकारियों के नियमित भ्रमण एवं बीट निरीक्षण के लिये संबंधित वन संरक्षकों द्वारा रोस्टर तैयार किया जाता है तथा रोस्टर के मुताबिक अधिकारियों/कर्मचारियों से बीट निरीक्षण सम्पादित करवाया जाता है ।

प्रत्येक वृत्त स्तर पर एक वन क्षेत्रपाल के नेतृत्व में उड़न दस्ता दल तैनात किया गया है, जो आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित है एवं आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक चेकिंग अथवा मैदानी अमले को सहायता पहुँचाने का कार्य लिया जाता है। प्रदेश में पुलिस विभाग की तीन विशेष शस्त्र बल कम्पनियों को भी तैनात किया गया है।

वनों की सुरक्षा में जन भागीदारी का बहुत महत्व है। प्रदेश में वन सुरक्षा हेतु जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये 15228 वन समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें विशिष्ट वन क्षेत्रों से सम्बद्ध किया गया है। यह समितियाँ प्राथमिक रूप से वनों की सुरक्षा में सहयोग करती हैं ।

वन सुरक्षा एवं वन प्रबन्धन के क्षेत्र में सूचना एवं संचार का बहुत महत्व है। अतः वन विभाग द्वारा प्रदेश में बीट गार्ड स्तर तक के कर्मचारियों तक 5500 मोबाईल फोन सिम उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व से स्थापित वायर लेस सेटों के माध्यम से संचार तंत्र को मजबूत किया गया है। इससे सूचनाओं के आदान–प्रदान, अपराधियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही में विशेष सहायता मिलती है। प्रदेश में 3900 बहुउद्देशीय संयंत्र पी0डी0ए0 भी उपलब्ध कराये गये हैं ।

वन विभाग के कर्मचारियों को संगठित अपराधियों का सामना करने हेतु प्रदेश में 2600 पम्प एक्शन बन्दूकें ओर 136 रिवाल्वर वन कर्मचारियों एवं वन परिक्षेत्राधिकारियों को उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वन कर्मी निडर होकर वन सुरक्षा कार्य सम्पादित कर सकें। जिला स्तर पर पुलिस एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिये प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके वनमण्डलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी सदस्य हैं ।

वन सुरक्षा में मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये गुप्त निधि की व्यवस्था की गई है, जिसमें वन अपराधों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखते हुये सूचना दाता को बतौर पारितोषिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त म0प्र0 वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004 लागू किया गया है, जिसके अनुसार वन अपराधों को पकड़वाने में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को 25000 रू0 तक का नगद ईनाम देने का प्रावधान है ।

म0प्र0 वन सुरक्षा सहायक को देय वित्तीय सहायता नियम 2006 के अनुसार वन सुरक्षा में सहायता देने वाले श्रमिकों, वन समिति सदस्यों एवं मुखबिरों को रू0 एक लाख तक अनुग्रह राशि प्रदान करने, इलाज के लिये व्यय की क्षतिपूर्ति करने तथा न्यायालयीन प्रकरणों की पैरवी के लिये न्यायालयीन व्यय की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। वन कर्मचारियों के वन अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शहीद होने की स्थिति में उनके परिवार को रू0 दस लाख तक की विशेष राहत, असाधारण पेंशन एवं परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है ।

वन चौकी व्यवस्था से वन सरंक्षण

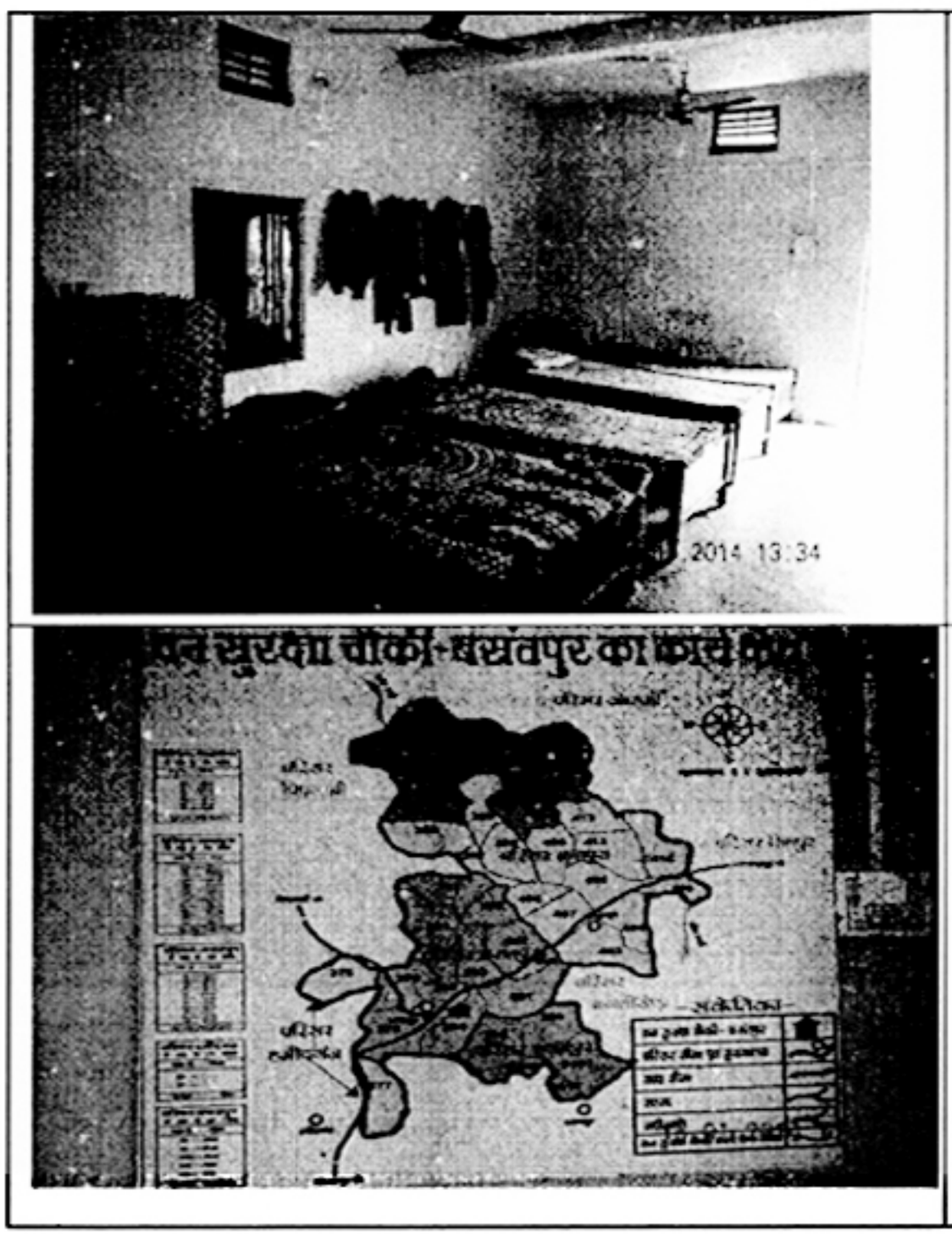

वन संरक्षण पर प्रभावी नियंत्रण एवं उसके लिये समुचित रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 से 2013 में प्रदेश के वनों में घटित वन अपराधों की जानकारी के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। समीक्षा में पाये गये मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. <u>पंजीकृत वन अपराध</u> :–

प्रदेश में वर्ष 2006 से 2013 की अवधि में पंजीकृत किये गये कुल वन अपराधों की स्थिति 'बार चार्ट' में दर्शित हैं।

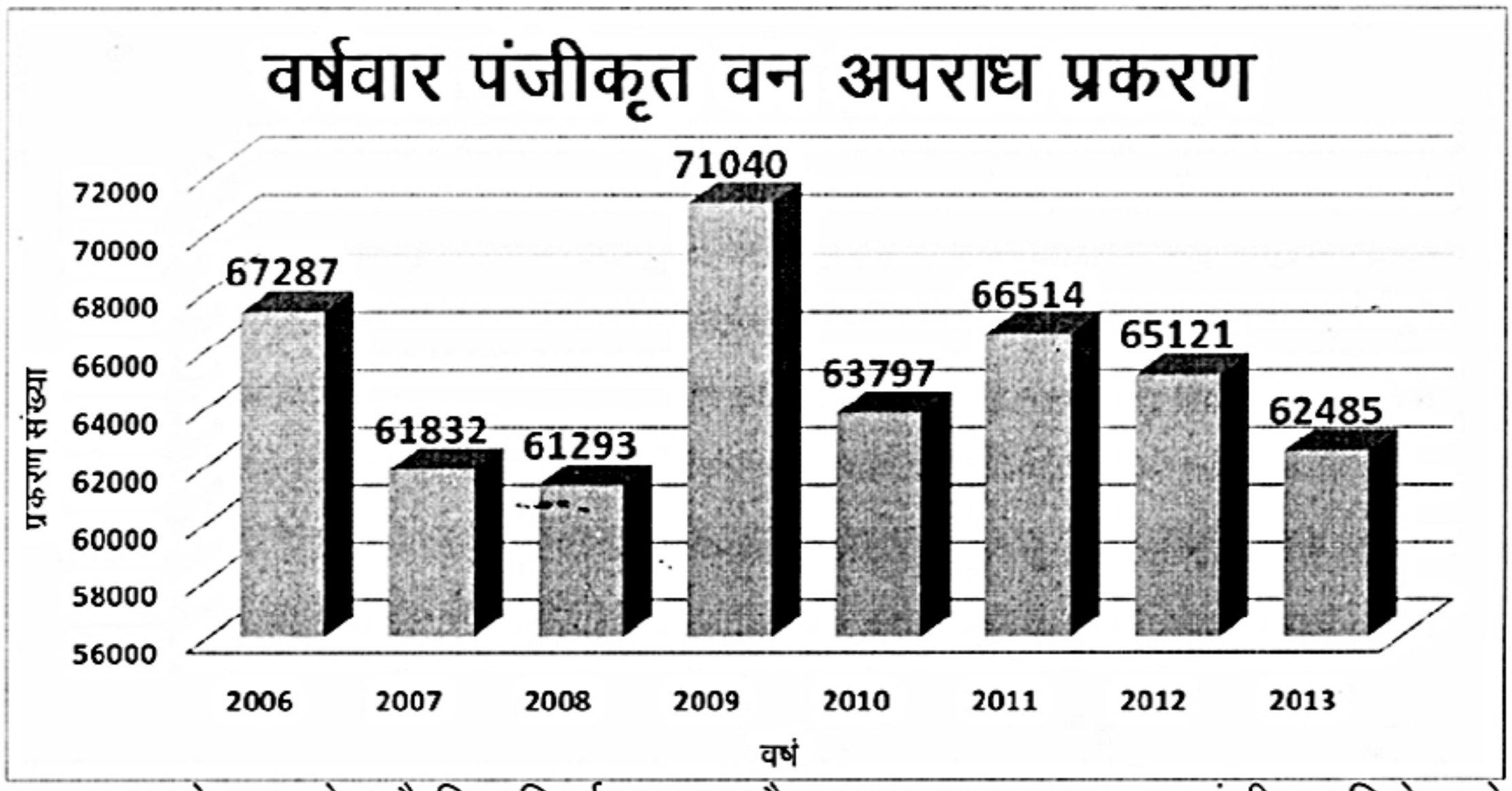

इससे ज्ञात होता है कि प्रतिवर्ष लगभग औसतन 64,921 वन अपराध पंजीकृत किये जाते हैं। वर्ष 2013 में कुल 62485 वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विगत 3 वर्षों कुल वन अपराधों की संख्या में कमी आई है तथा वर्ष 2012 की अपेक्षा वर्ष 2013 में कुल वन अपराधों में 4 प्रतिशत की कमी आई है।

वर्ष 2013 के कुल वन अपराधों की वृत्तवार स्थिति अवरोही क्रम में नीचे दी गयी तालिका में दर्शायी गयी है, जिसके अनुसार सर्वाधिक वन अपराध प्रकरण भोपाल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, खण्डवा एवं सिवनी वन वृत्तों के अंतर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं।

अ.क्र.	वृत्त	प्रकरण संख्या
1	भोपाल	6646
2	सागर	5573
3	जबलपुर	5509
4	ग्वालियर	5232
5	छिंदवाड़ा	4967
6	खण्डवा	4908
7	सिवनी	4046
8	छतरपुर	3946
9	बैतूल	3748
10	उज्जैन	3548

इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान के क्रम में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मण्डला (825 जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित बफर वनमंडल भी सम्मिलित है) प्रथम तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल एवं पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी में कोई वन अपराध प्रकरण दर्ज नहीं पाया गया।

वर्ष 2013 में सर्वाधिक वन अपराध प्रकरणों वाले वनमण्डलों के घटते क्रम की स्थिति तालिका में दर्शित है –

अ.क्र.	वन मण्डल का नाम	कुल वन अपराध प्रकरण
1	देवास	2898
2	रायसेन	2265
3	खण्डवा	2085
4	पूर्व छिंदवाड़ा	1972
5	दमोह	1837
6	पश्चिम छिंदवाड़ा	1712
7	दक्षिण बालाघाट	1707
8	डिण्डौरी	1654
9	दक्षिण सागर	1522
10	उत्तर बैतूल	1512
11	श्योपुर	1512
12	होशंगाबाद	1507
13	दक्षिण सिवनी	1472
14	सीहोर	1461
15	बुरहानपुर	1448

अतः वन अपराधों की दृष्टि से उपरोक्त वन मण्डल अत्यन्त संवेदनशील श्रेणी में आते हैं।

वन अपराधों की श्रेणीवार पंजीबद्ध प्रकरणों की स्थिति निम्न 'पाई चार्ट' में दर्शाई गई है :–

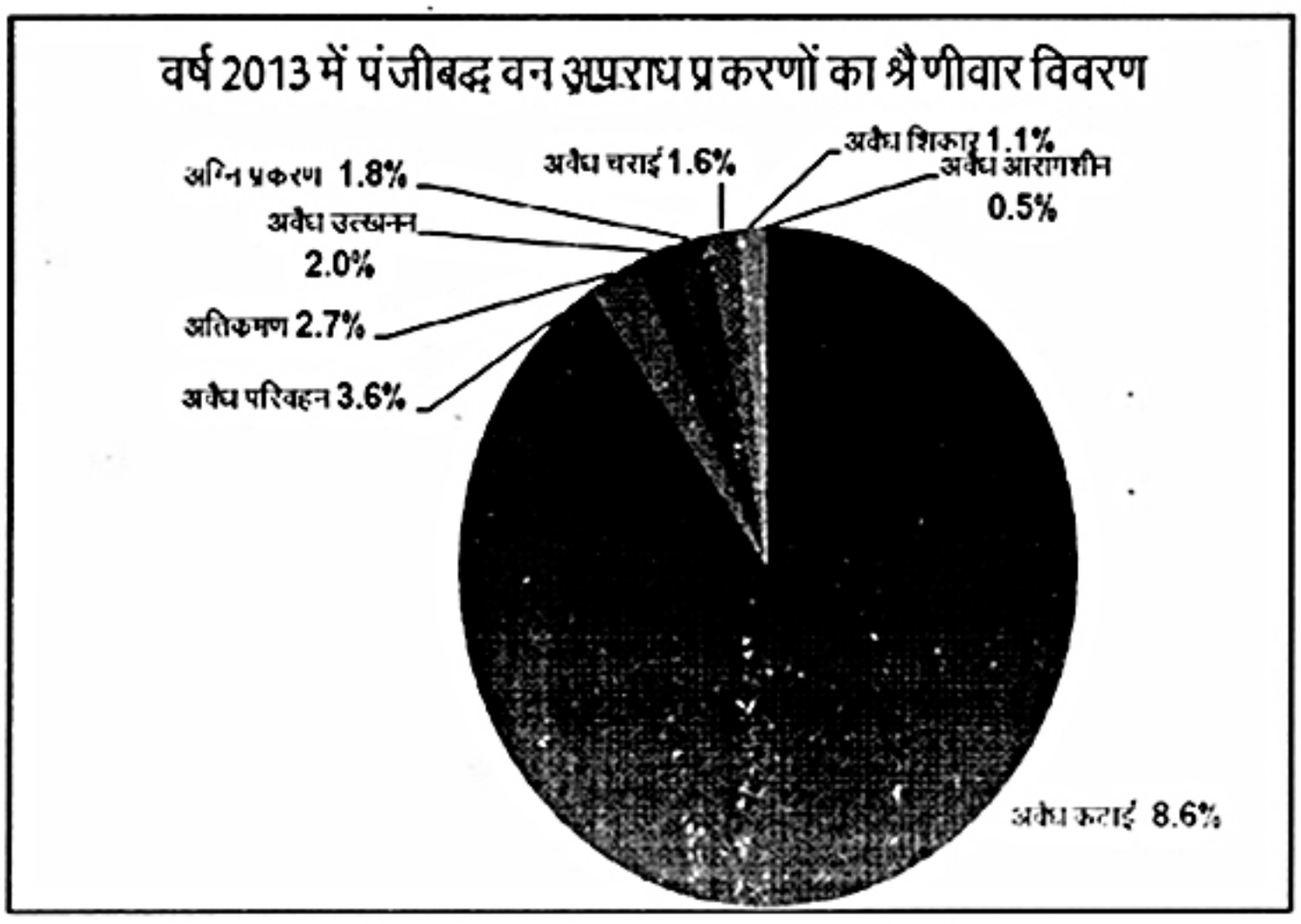

इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में सर्वाधिक अवैध कटाई के प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं, जो कुल पंजीबद्ध वन अपराधों का लगभग 86.6 प्रतिशत होते हैं। शेष 13.4 प्रतिशत में, अवैध परिवहन, अवैध अतिक्रमण, अग्नि दुर्घटना, अवैध उत्खनन, अवैध चराई, अवैध शिकार आदि के होते हैं।

1.1 अवैध कटाई

वर्ष 2013 में कुल वन अपराध संख्या 62485 में से 54105 प्रकरण अवैध कटाई के हैं, जो कुल वन अपराधों का 86.6 प्रतिशत है। अवैध कटाई के प्रकरणों में कुल 3,21,386 वृक्षों की अवैध कटाई हुई तथा 13387.47 घन मीट्र काष्ठ जप्त की गई।

प्रदेश में विगत 8 वर्षो में अवैध कटाई के प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

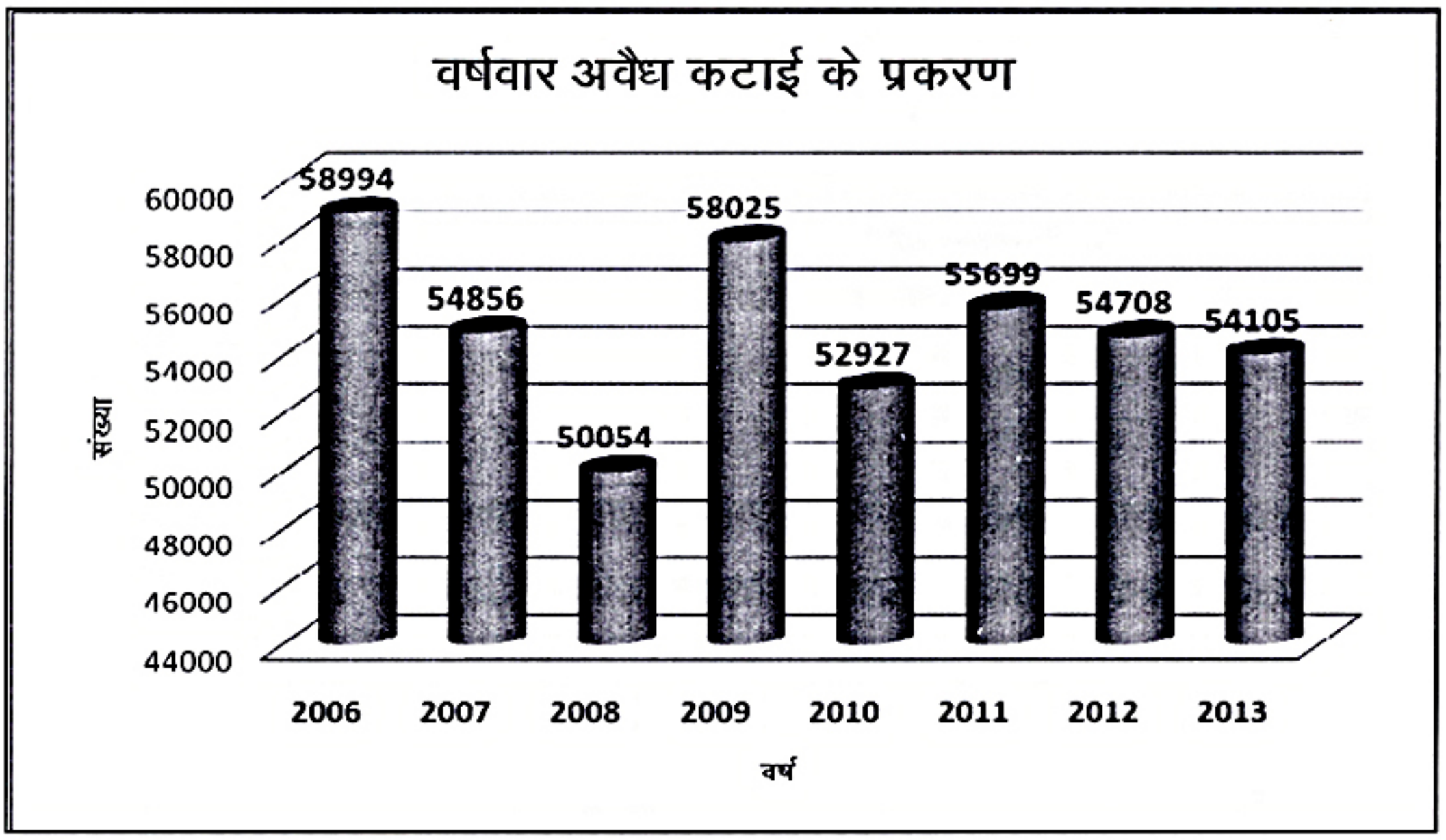

इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में अवैध कटाई के प्रकरणों की संख्या में विगत 3 वर्षों में लगातार कमी आई है। वर्ष 2013 में अवैध कटाई के कुल प्रकरणों की संख्या 54,105 रही। वर्ष 2012 की अपेक्षा वर्ष 2013 में अवैध कटाई के प्रकरणों में 1 प्रतिशत की कमी आई है।

प्रदेश में विगत 8 वर्षों में अवैध कटाई के दौरान काटे गये कुल वृक्षों की संख्या की स्थिति नीचे दिखाये गये चार्ट में दी गयी है जिससे विदित होता है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 3,25,000 वृक्षों की अवैध कटाई होती है।

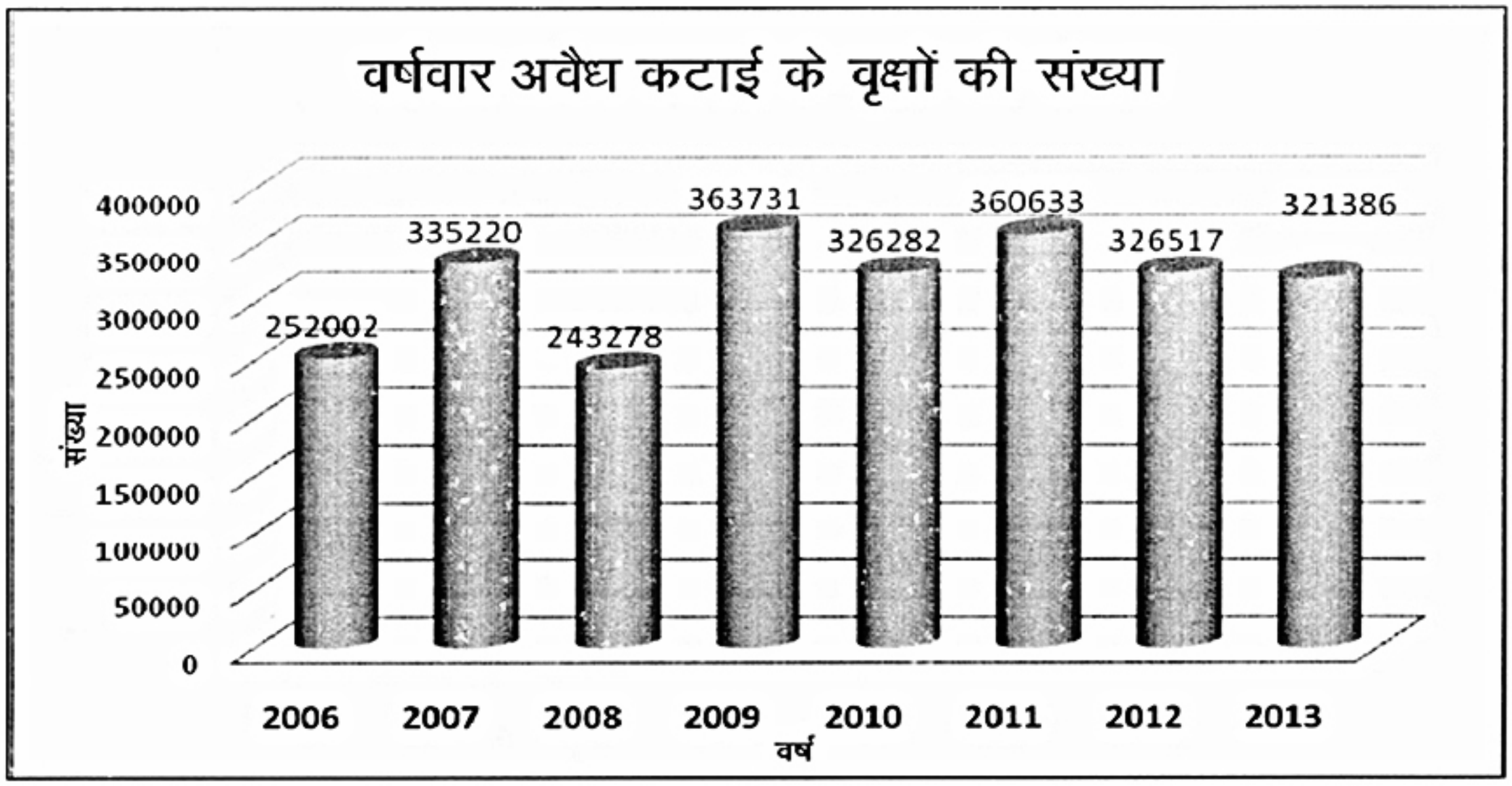

उपरोक्त **'बार चार्ट'** से विदित होता है कि वनों के निकट दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं वनों में अतिक्रमण की दृष्टि से तथा अल्प मात्रा में व्यापारिक दृष्टि से कटाई अभी भी लगातार हो रही है, जिसके विरूद्ध आवश्यक अमले की तैनाती, उनकी गतिशीलता एवं संचार सुविधा बढ़ाने तथा सघन वनीकरण की आवश्यकता है।

अतिक्रमण हेतू अवैध कटाई

वृत्तवार काटे गये वृक्षों की संख्या, अवैध कटाई के कुल पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या तथा जप्तशुदा काष्ठ की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी है। उक्त तालिका में काटे गये वृक्षों की संख्या के अनुसार वृत्तों की स्थिति अवरोही क्रम में दर्शायी गयी है:–

अ.क्र.	वृत्त	काटे गये वृक्षों की संख्या	प्रकरण संख्या	जप्त काष्ठ (घ.मी.)
1	भोपाल	38240	5860	1918
2	जबलपुर	30190	5293	529
3	सागर	26416	5026	1273
4	सिवनी	25187	3824	643
5	खण्डवा	25099	3998	1479
6	छिंदवाड़ा	24634	4844	394
7	शिवपुरी	22117	1217	201
8	छतरपुर	20832	3270	489
9	ग्वालियर	18906	3999	1444
10	शहडोल	16443	2779	738
11	बालाघाट	16413	2841	843
12	उज्जैन	16142	2940	1512
13	रीवा	12756	1873	406
14	बैतूल	11316	3573	742
15	इंदौर	8894	1354	325
16	कान्हा टा. रि. मण्डला	2784	664	291
17	पन्ना टा. रि छतरपुर	1902	224	54
18	बांधवगढ़ टा. रि उमरिया	1271	240	61
19	कूनो वन्यप्राणी व.म. श्योपुर	756	94	13
20	सतपुड़ा टा. रि पचमढ़ी	607	123	20
21	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	260	59	8
22	संजय टा. रि सीधी	221	10	5
	योग	**321386**	**54105**	**13387**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भोपाल, जबलपुर, सागर, सिवनी, खण्डवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी वन वृत्त अवैध कटाई की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। यह उल्लेखनीय है कि, इन्हीं वन वृत्तों में सागौन के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं।

अवैध कटाई में काटे गये वृक्षों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 15 वनमंडलों की जानकारी नीचे दी गयी तालिका में दर्शित है:–

अ.क्र.	वन मण्डल	काटे गये वृक्ष	प्रकरण संख्या
1	देवास	15630	2727
2	दमोह	14047	1608
3	रायसेन	13975	2210
4	गुना	11574	654
5	बुरहानपुर	10784	1192
6	डिण्डौरी	10559	1601
7	पूर्व छिंदवाड़ा	10171	1927
8	खण्डवा	9958	1957
9	शिवपुरी	9628	524
10	सीहोर	9627	1323
11	नरसिंहपुर	9551	1150
12	दक्षिण बालाघाट	8511	1541
13	दक्षिण पन्ना	8125	1132
14	उत्तर सिवनी	7918	1260
15	उत्तर बालाघाट	7902	1300

इससे स्पष्ट है कि देवास, दमोह, रायसेन वनमंडल प्रदेश में अवैध कटाई की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील हैं।

प्रदेश में अवैध कटाई में वर्ष 2013 में जप्त की गयी कुल काष्ठ 13387.47 घन मीटर पायी गयी। विगत 8 वर्षों में अवैध कटाई के कारण जप्त की गयी कुल वनोपज की स्थिति निम्न 'बार चार्ट' में दर्शायी गयी है।

अवैध कटाई के प्रकरणों में जप्त काष्ठ (घन मीटर)

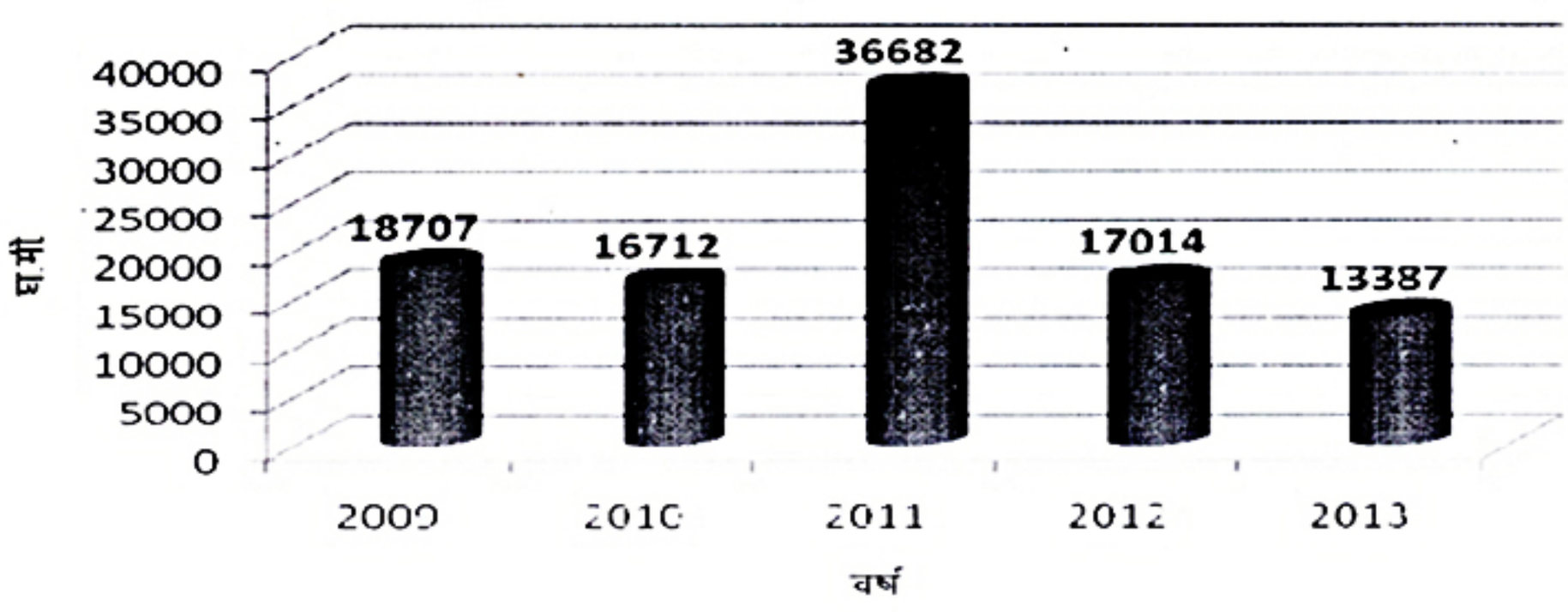

वर्ष 2013 में सर्वाधिक मात्रा में जप्त काष्ठ वृत्तवार अवरोही क्रम में दर्शित है :–

अ.क्र.	वृत्त	जप्त काष्ठ (घ.मी.) में
1	भोपाल	1918
2	उज्जैन	1512
3	खण्डवा	1479
4	सागर	1273
5	बालाघाट	843
6	ग्वालियर	783
7	बैतूल	742

वर्ष 2013 में अवैध कटाई में जप्त काष्ठ के अवरोही क्रम में वन मण्डल निम्नानुसार हैं :–

अ.क्र.	वन मण्डल	जप्त काष्ठ (घ.मी)
1	देवास	1461
2	खण्डवा	746
3	बुरहानपुर	626
4	रायसेन	626
5	सीहोर	558
6	उत्तर बालाघाट	542
7	दक्षिण सागर	540
8	श्योपुर	522
9	होशंगाबाद	399
10	नौरादेही	389
11	विदिशा	382
12	उत्तर शहडोल	340
13	औबेदुल्लागंज	304
14	दक्षिण बालाघाट	301
15	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	291

इससे स्पष्ट है कि ये लगभग वही वनमंडल हैं जिनमें अवैध कटाई के प्रकरणों की संख्या सबसे ज्यादा है।

वर्ष 2013 में अवैध कटाई के सर्वाधिक प्रकरण वाले वनमण्डल प्रकरणों की संख्या के अवरोही क्रम में निम्नानुसार है

अ.क्र.	वन मण्डल	अवैध कटाई के पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरण
1	देवास	2727
2	रायसेन	2210
3	खण्डवा	1957
4	पूर्व छिंदवाड़ा	1927
5	पश्चिम छिंदवाड़ा	1641
6	दमोह	1608
7	डिण्डौरी	1601
8	दक्षिण बालाघाट	1541
9	दक्षिण सिवनी (सा.)	1414
10	दक्षिण सागर	1410
11	उत्तर बैतूल	1401
12	श्योपुर	1374
13	होशंगाबाद	1357
14	सीहोर	1323
15	उत्तर बालाघाट	1300

अतः अवैध कटाई की दृष्टि से ये वन मण्डल अत्यंत संवेदनशील हैं।

प्रदेश में वर्षवार कुल पंजीबद्ध अवैध कटाई एवं बीट निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आए प्रकरणों की संख्या का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

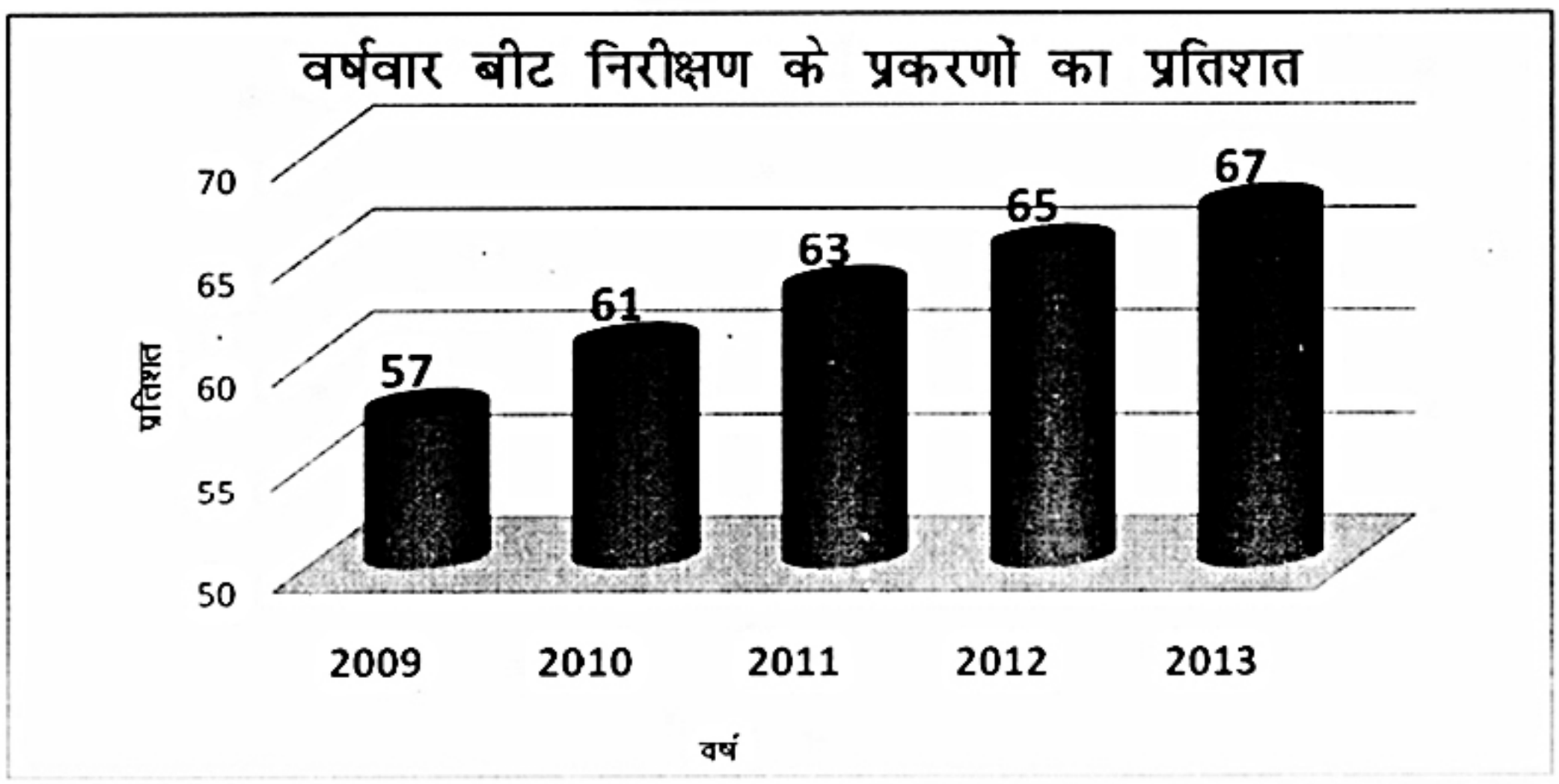

वर्षवार बीट निरीक्षण के प्रकरणों का प्रतिशत

वर्ष	अवैध कटाई के कुल प्रकरण	बीट निरीक्षण के कुल प्रकरण	प्रतिशत
2009	58025	33316	57
2010	52927	32060	61
2011	55699	35250	63
2012	54708	35753	65
2013	54105	36411	67

यह तालिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इससे मैदानी अमले की सजगता का पता चलता है। वर्ष 2013 में प्रदेश में 67 प्रतिशत बीट निरीक्षण के दौरान प्रकरण प्रकाश में आये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विगत वर्षों में बीट निरीक्षण के दौरान ही अवैध कटाई प्रकाश में आई है तथा वर्षवार प्रकरणों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक है।

वृत्तवार अवैध कटाई के प्रकरण एवं बीट निरीक्षण के प्रकरणों की संख्या तथा बीट निरीक्षण का कुल अवैध कटाई के प्रकरणों का प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शित है।

वृत्तवार बीट निरीक्षण के प्रकरणों का प्रतिशत

वृत्त	अवैध कटाई के प्रकरण	बीट निरीक्षण के प्रकरण	प्रतिशत
बैतूल	3573	2795	78
खण्डवा	3998	3112	78
ज्बलपुर	5293	4015	76
कान्हा टा.रि. मण्डला	664	503	76
छिंदवाड़ा	4844	3641	75
सिवनी	3824	2760	72
भोपाल	5860	4227	72
बांधवगढ़ टा.रि. उमरिया	240	168	70
छतरपुर	3270	2232	68
बालाघाट	2841	1921	68
सतपुड़ा टा.रि. पचमढ़ी	123	82	67
शिवपुरी	1217	803	66
इंदौर	1354	814	60
उज्जैन	2940	1763	60
सागर	5026	2999	60
कुनो वन्यप्राणी व.म.श्योपुर	94	55	59
ग्वालियर	3999	2249	56

शहडोल	2779	1522	55
पन्ना टा.रि. पन्ना	224	97	43
रीवा	1873	641	34
माधव रा.उ. शिवपुरी	59	11	19
संजय टा.रि. सीधी	10	1	10
योग	**54105**	**36411**	**67**

कई वृत्तों में यह स्थिति प्रदेश औसत से बहुत अधिक है। उदाहरणार्थ बैतूल, खण्डवा, जबलपुर, कान्हा टा.रि., छिंदवाड़ा, सिवनी, भोपाल, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आदि। अतः इन वन वृत्तों में संरक्षण कार्य पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश में बीट निरीक्षण में पाये गये अवैध कटाई के प्रकरणों की संख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में 10 वनमण्डल दर्शित हैं। सभी वनमण्डलों की अवरोही क्रम की सूची परिशिष्ट–1 में दर्शित है।

वन मण्डलवार बीट निरीक्षण के प्रकरणों का प्रतिशत

अ0क0	वन मण्डल	अवैध कटाई के प्रकरण	बीट निरीक्षण के प्रकरण	प्रतिशत
1	पश्चिम बैतूल	920	836	91
2	डिण्डौरी	1601	1386	87
3	दक्षिण पन्ना	1132	979	86
4	दक्षिण छिंदवाड़ा	1276	1092	86
5	खरगौन	118	99	84
6	दक्षिण बैतूल	1252	1047	84
7	भोपाल	287	239	83
8	बडवाह	710	590	83
9	पूर्व मण्डला	928	767	83
10	हरदा	795	647	81
11	खण्डवा	1957	1506	77
12	रायसेन	2210	1696	77
13	बुरहानपुर	1192	910	76
14	पश्चिम मण्डला	1251	955	76
15	कान्हा टा.रि.मण्डला	664	503	76

1.2 अग्नि प्रकरण एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र

प्रदेश में अग्नि के 1129 प्रकरण दर्ज किये गये तथा 5046 हैक्टेयर वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित रहा। प्रदेश में विगत 6 वर्षो में अग्नि प्रकरण एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति बार चार्ट में दर्शित है :–

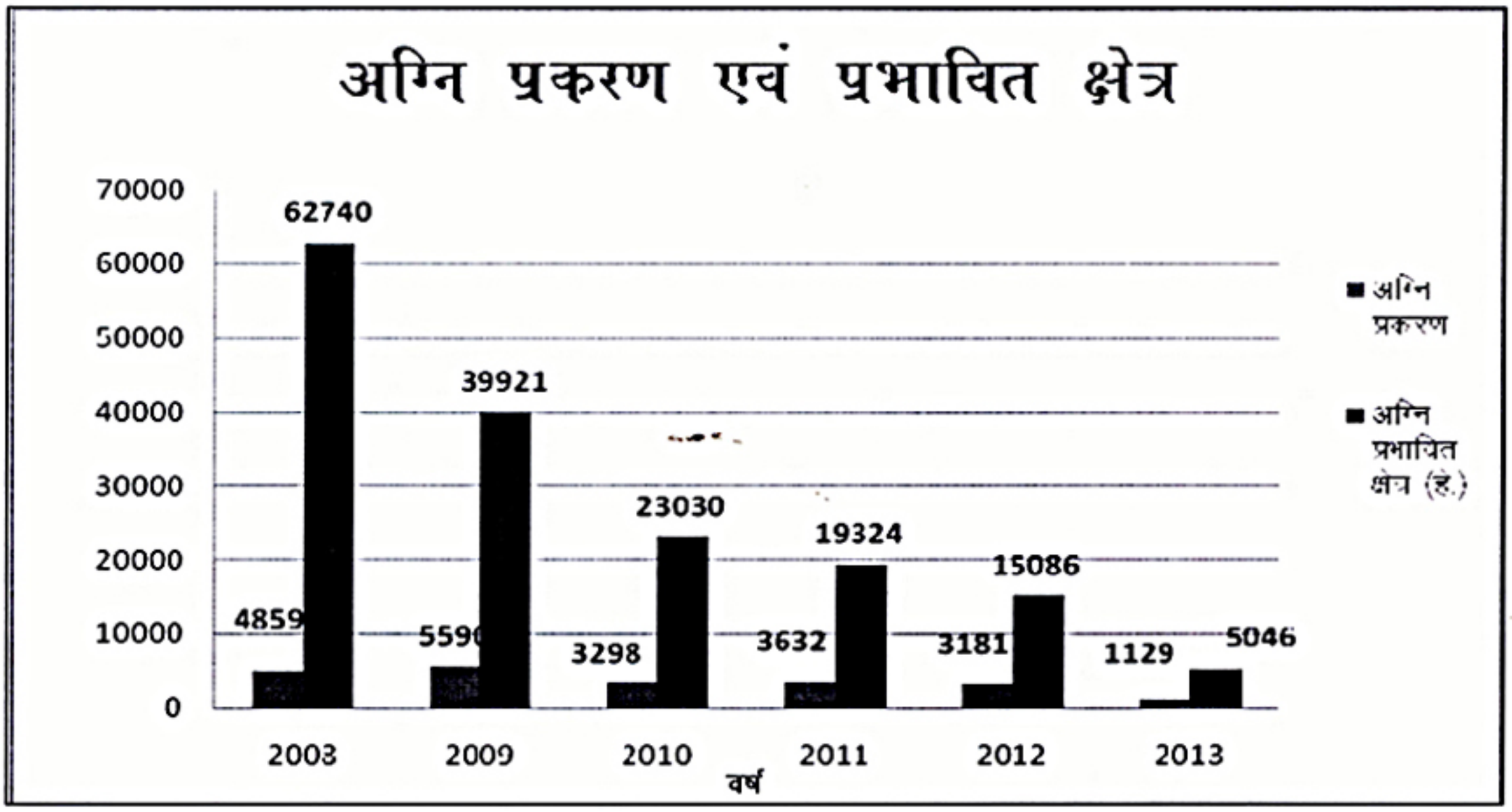

इससे स्पष्ट है कि अग्नि प्रकरणों एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों पर दोनों में ही निरंतर कमी आई है। वन विभाग द्वारा विकसित फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम (**F.A.M.S.**) एवं अग्नि दुर्घटनाओं का सतत् अनुश्रवण के कारण लगातार कमी आई है।

अस्थाई अग्नि सुरक्षा शिविर

अग्नि सुरक्षा कैम्प

वर्ष 2013 में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर वृत्तों की अवरोही क्रम में स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वृत्त का नाम	अग्नि प्रकरण	अग्नि प्रभावित क्षेत्र (हे.)
1	कान्हा टा.रि. मण्डला	133	1554
2	खण्डवा	180	711
3	छतरपुर	137	416
4	भोपाल	112	332
5	ग्वालियर	67	288
6	उज्जैन	70	237
7	सागर	58	193
8	इंदौर	33	186
9	बांधवगढ़ टा.रि.उमरिया	11	164
10	बैतूल	38	160

वर्ष 2013 में सर्वाधिक अग्नि प्रभावित क्षेत्र कान्हा टाइगर रिजर्व रहा, जबकि सर्वाधिक अग्नि दुर्घटनाएँ खण्डवा वृत्त के अंतर्गत हुई।

वर्ष 2013 में सर्वाधिक वन अग्नि प्रभावित वनमण्डल निम्नानुसार रहे–

अ.क्र.	वनमण्डल का नाम	अग्नि प्रकरण	अग्नि प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	कान्हा टा.रि.मण्डला	133	1554
2	बुरहानपुर	70	295
3	दक्षिण पन्ना	58	217
4	उत्तर पन्ना	62	190
5	श्योपुर	35	190
6	खण्डवा	45	184
7	बड़वाह	55	181
8	बांधवगढ़ टा.रि.उमरिया	11	164
9	देवास	56	158
10	कूनो व.प्रा. व.म. श्योपुर	32	153
11	औबेदुल्लागंज	43	109
12	राजगढ़	8	85
13	पन्ना टा.रि., पन्ना	25	80
14	उत्तर बैतूल	20	78
15	इंदौर	14	77
16	दमोह	28	71
17	दक्षिण बैतूल	12	69.5
18	दक्षिण बालाघाट	36	69.1
19	भोपाल	17	67.0
20	नौरादेही	15	59.5

प्रदेश में अधिकतर अग्नि दुर्घटनाएँ मानवीय कारणों से होती हैं। वर्ष 2013 में अग्नि प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों की दृष्टि से प्रदेश के प्रथम 5 वनमण्डल कान्हा टा.रि. बुरहानपुर, दक्षिण पन्ना एवं उत्तर पन्ना हैं।

1.3 वनोपज का अवैध परिवहन एवं उसमें जप्त वाहन

प्रदेश में वर्ष 2013 में अवैध परिवहन के कुल 2263 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिनमें कुल 1145 वाहन जप्त किये गये। वन अपराध प्रकरण संख्या में अवैध कटाई के पश्चात अवैध परिवहन आता है जो कुल वन अपराधों का लगभग 3.6 प्रतिशत है।

विगत 8 वर्षो में अवैध परिवहन प्रकरणों एवं उनमें जप्त वाहनों की स्थिति निम्न 'बार चार्ट' में दर्शित है :–

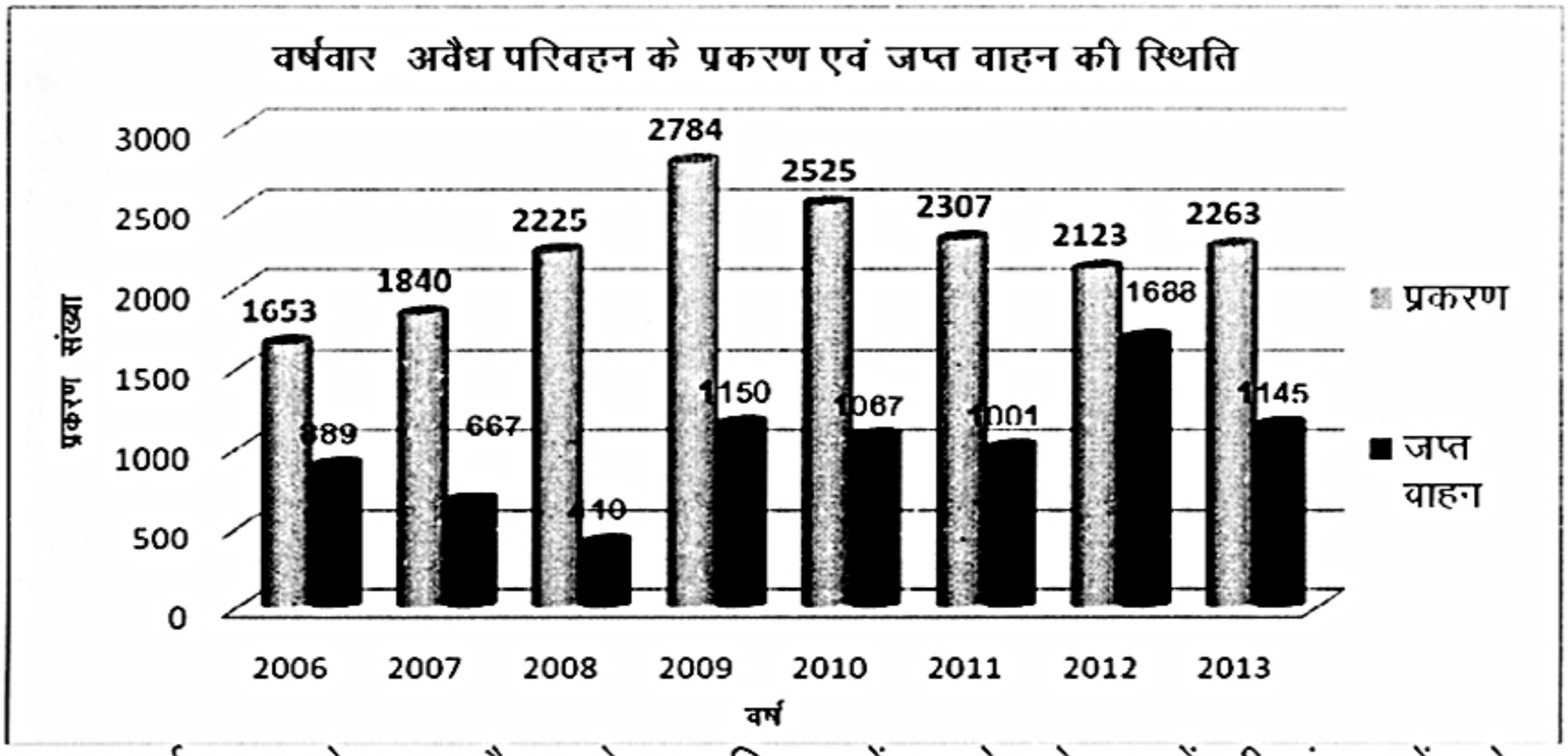

वर्ष 2011 के बाद अवैध वनोपज परिवहन में पकड़े गये वाहनों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 2012 से वन चौकी एवं परिक्षेत्राधिकारी को वनों की सुरक्षा हेतू किराये पर वाहन लेने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके पश्चात् प्रभावी वन गश्ती संभव हुई है तथा शासकीय अमले की गतिशीलता एवं दक्षता में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी संख्या में अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों का पकड़ा जाना संभव हो सका है। यद्यपि वनोपजों के परिवहन में साईकिल, मोटर साईकिल, बैलगाड़ी, ऊँटों आदि का भी उपयोग होता है तथा बड़ी संख्या में उनकी जप्ती की जाती है, परन्तु उपरोक्त चार्ट में दर्शाई गई संख्या में केवल चार पहिये वाले स्वचलित वाहन ही सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2013 में अवैध परिवहन में जप्त वाहनों की संख्या के अवरोही क्रम में वृत्तों की स्थिति :–

अ.	वृत्त	प्रकरण	जप्त वाहन
1	ग्वालियर	327	346
2	शिवपुरी	269	299
3	भोपाल	272	289
4	रीवा	179	178
5	छतरपुर	160	160
6	खण्डवा	131	126
7	सागर	123	126
8	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	122	123
9	शहडोल	105	109
10	उज्जैन	94	90

तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में सर्वाधिक वाहन भोपाल, रीवा, बालाघाट, शिवपुरी एवं संजय टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जप्त किये गये।

निजी वाहन द्वारा अवैध परिवहन

वर्ष 2013 में अवैध परिवहन में जप्त वाहनों की संख्या के अवरोही क्रम में वनमण्डलों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वन मण्डल	प्रकरण	जप्त वाहन
1	शिवपुरी	157	169
2	मुरैना	143	143
3	गुना	107	125
4	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	122	123
5	सीहोर	95	101
6	छतरपुर	76	76
7	रायसेन	67	67
8	श्योपुर	56	61
9	ग्वालियर	54	60
10	सिंगरौली	59	59
11	उमरिया	53	54
12	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	21	52
13	विदिशा	49	50
14	दक्षिण सागर	47	49
15	बुरहानपुर	46	46

स्पष्ट है कि सर्वाधिक वाहन शिवपुरी, मुरैना, गुना, संजय टाइगर रिजर्व सीधी, सीहोर, छतरपुर वनमंडलों में जप्त हुए हैं। शासन द्वारा वन अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया गया है तथा वाहनों के अधिहरण का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहनों से वनोपज का परिवहन चिंताजनक है।

1.4 अवैध उत्खनन

वर्ष 2013 में अवैध उत्खनन के 1260 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। विगत 8 वर्षो में अवैध उत्खनन के प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

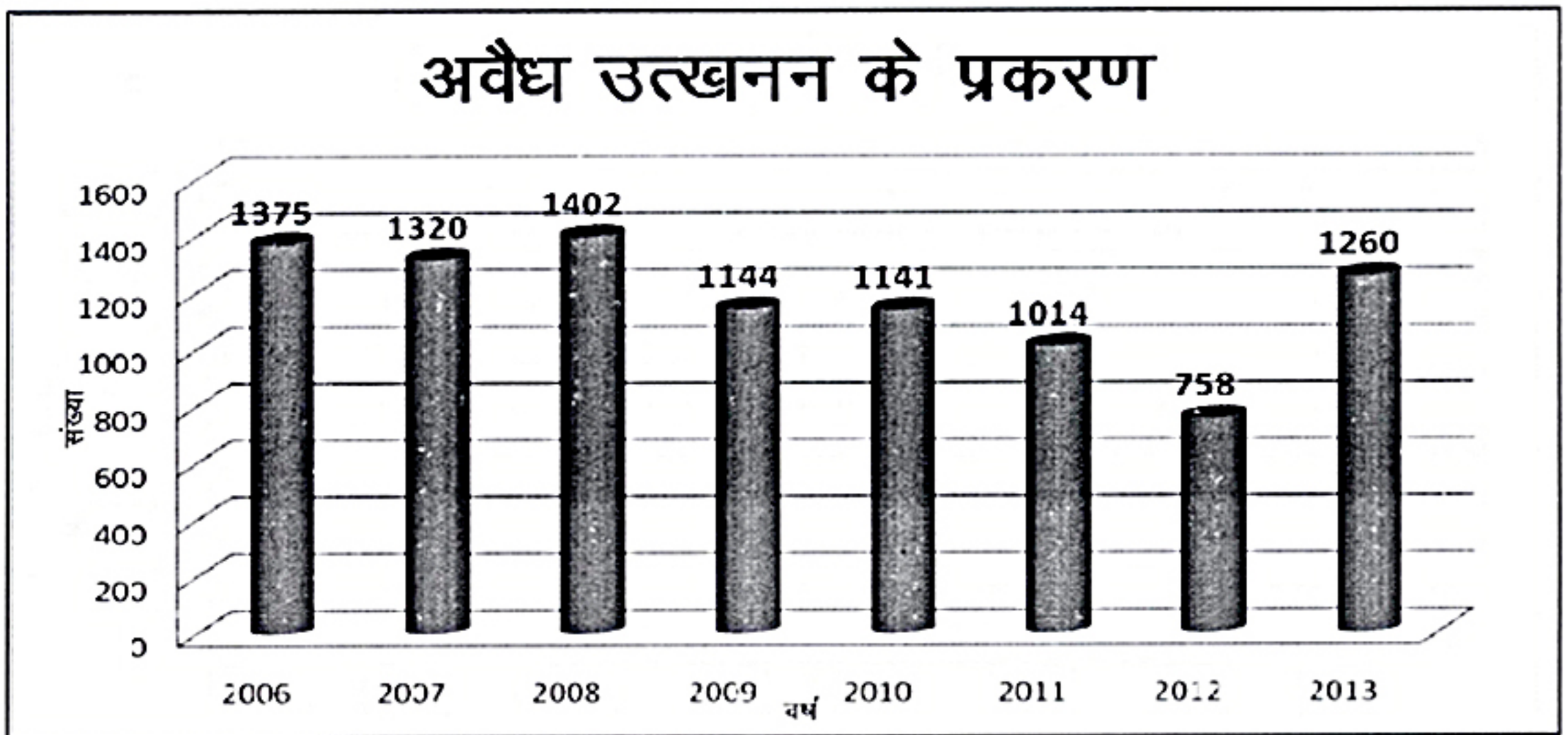

गौण खनिज की अवैध उत्खनन

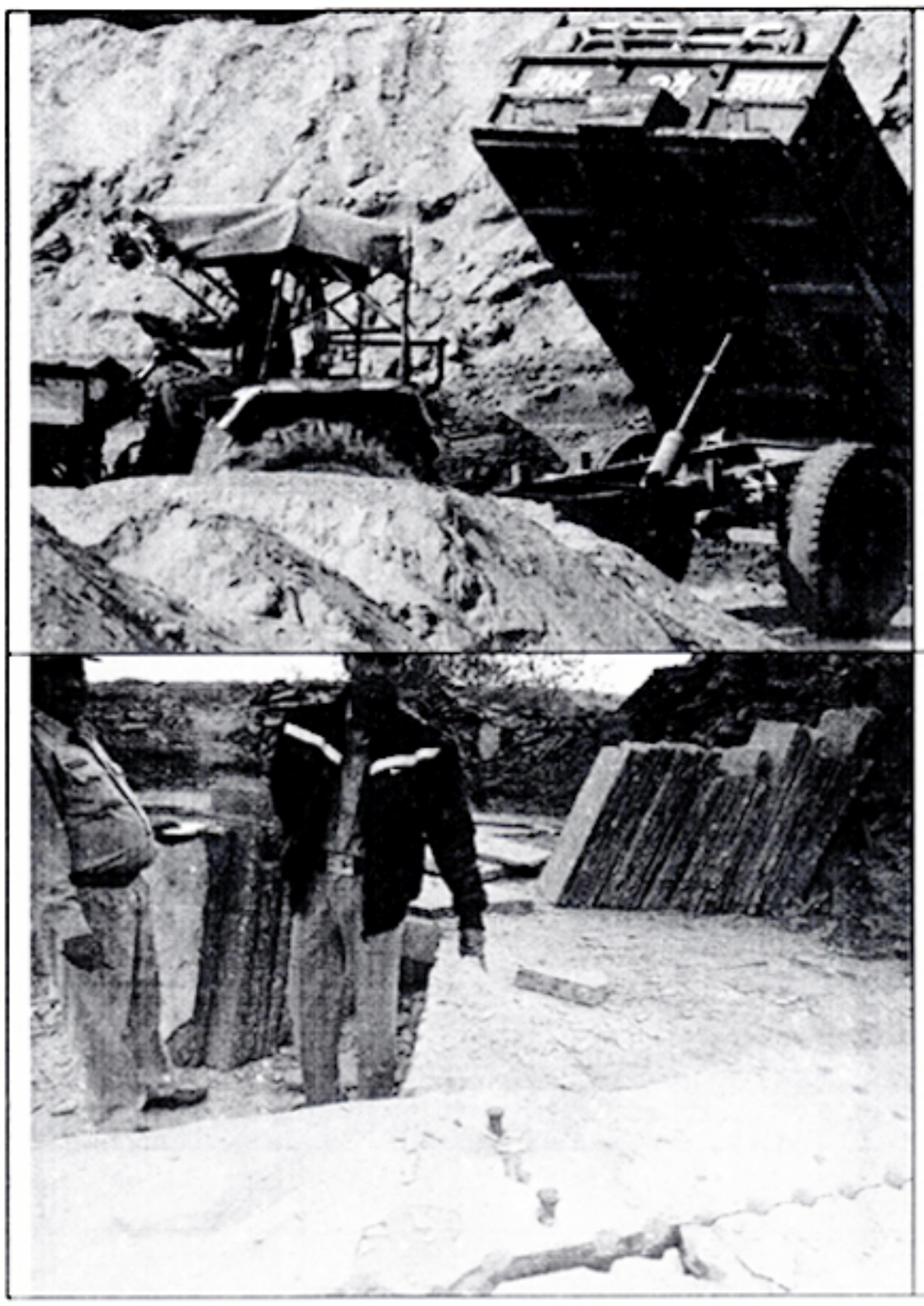

प्रदेश के वन क्षेत्रों में बहुमूल्य खनिज जैसे लोह अयस्क, बॉक्साइट, मेंगनीज तथा गौण खनिज जैसे फर्शी पत्थर, ग्रेनाइट, गिट्टी, रेत आदि प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इनकी व्यावसायिक मांग होने के कारण वन क्षेत्रों से अवैध उत्खनन की घटनाएं होती रहती हैं। वर्ष 2013 में विगत वर्ष की अपेक्षा अवैध उत्खनन के प्रकरणों में 66 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अवैध उत्खनन सामान्यतः संगठित माफिया एवं समर्थ लोगों द्वारा किया जाता है तथा अक्सर उत्खनन के क्षेत्रों में वन कर्मियों पर हमले भी होते हैं, जो प्रायः उत्खनन माफिया द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2013 में अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या के अवरोही क्रम में वृत्तों की सूची निम्नानुसार हैं :–

अ. क्र.	वृत्त	प्रकरण	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.मे.)
1	ग्वालियर	60	10.3
2	शिवपुरी	48	160.5
3	रीवा	26	51.0
4	छतरपुर	25	33.6
5	सागर	19	33.9
6	बालाघाट	14	5.2
7	भोपाल	14	51.6
8	संजय टाईगर रिजर्व सीधी	9	40.2
9	शहडोल	7	21.8
10	खण्डवा	6	75.7

स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में ग्वालियर, शिवपुरी, रीवा, छतरपुर एवं सागर वृत्तों में अवैध उत्खनन की सर्वाधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं।

वर्ष 2013 में पंजीबद्ध उत्खनन प्रकरणों की संख्या के अवरोही क्रम में वनमण्डलों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वनमण्डल	प्रकरण	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)
1	ग्वालियर	423	8.9
2	मुरैना	121	0.4
3	शिवपुरी	89	0.3
4	दमोह	86	0.6
5	विदिशा	66	1.0
6	उत्तर पन्ना	56	8.7

7	छतरपुर	27	0.0
8	सतना	26	41.1
9	खरगौन	23	3.3
10	रायसेन	22	0.0
11	उत्तर शहडोल	20	1.4
12	गुना	18	0.8
13	उत्तर सागर	18	0.0
14	दक्षिण शहडोल	17	11.8
15	श्योपुर	16	0.5

स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में उत्खनन के सर्वाधिक प्रकरण ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, दमोह एवं विदिशा वनमण्डलों में दर्ज हुए हैं। उक्त वनमण्डलों में मुख्यतः फर्शी पत्थर एवं रेत का अवैध उत्खनन होता है और यह उत्खनन संगठित माफिया द्वारा व्यवसायिक स्तर पर संपन्न किया जाता है। जहां अक्सर अपराधियों द्वारा वन कर्मियों पर गोली चालन एवं उन्हें आतंकित करने की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं।

अवैध उत्खनन में प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है जिसका कारण यह है कि अवैध उत्खनन के कार्य मुख्यतः उत्खनन के पुराने क्षेत्रों में ही बार–बार किये जाते हैं।

1.5 वन भूमि पर अतिक्रमण

अधिक से अधिक भूमि के अर्जन की मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। यह प्रवृत्ति और बढ़ जाती है जब लोगों की उक्त आकांक्षा वास्तविकता का रूप लेने लगती है। वन क्षेत्रों के निकट विकास कार्य जैसे– सिचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सिचाई के सुगम साधन, वन क्षेत्रों में मार्गो का निर्माण एवं विद्युतिकरण, होने के फलस्वरूप उपजाउ वन भूमि में अतिक्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।

वनवासी अधिकार अधिनियम के पारित होने के साथ ही कुछ संगठनों एवं राजनैतिक दलों की वन भूमि पर अतिक्रमण कराने की सक्रियता बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप वन भूमि पर कब्जा करने की स्थानीय लोगों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है तथा उकसावे में आकर ग्रामीणों एवं वनवासियों द्वारा वन कर्मियों पर संगठित हमले भी किये जा रहे हैं ।

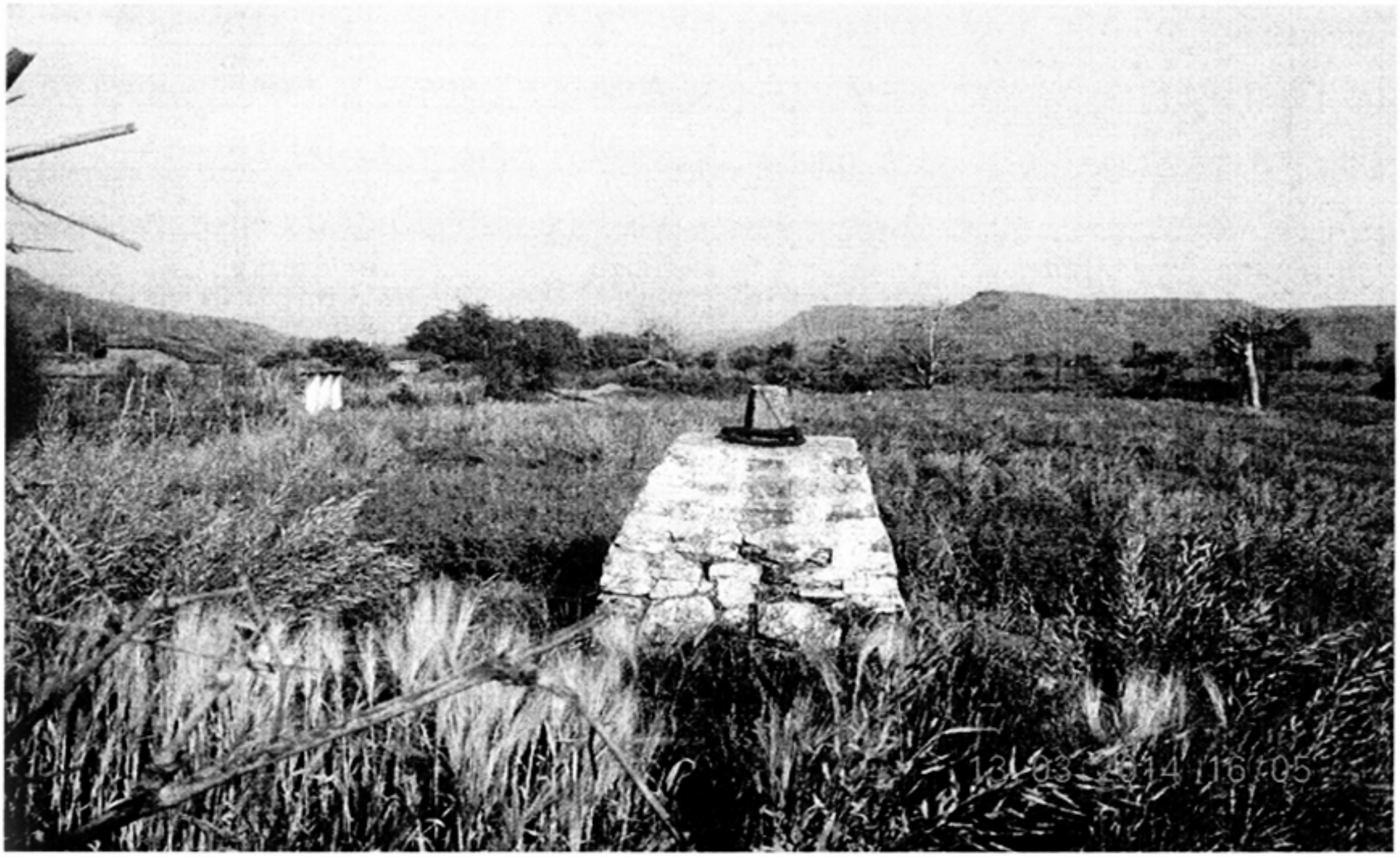

Beat उदयपुर कक्ष क193 में अतिक्रमण कर बनाये गये मकान

Lat : 23 53'52"
Log : 78 03'47"

बुरहानपुर वन में सामुहिक अतिकमण का प्रयास

वर्ष 2013 में वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 1713 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा कुल 3702 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर नवीन अतिक्रमण किया गया।

विगत 8 वर्षो में अतिक्रमण के प्रकरणों एवं प्रभावित क्षेत्र की स्थिति नीचे 'बार चार्ट' में दर्शित है :–

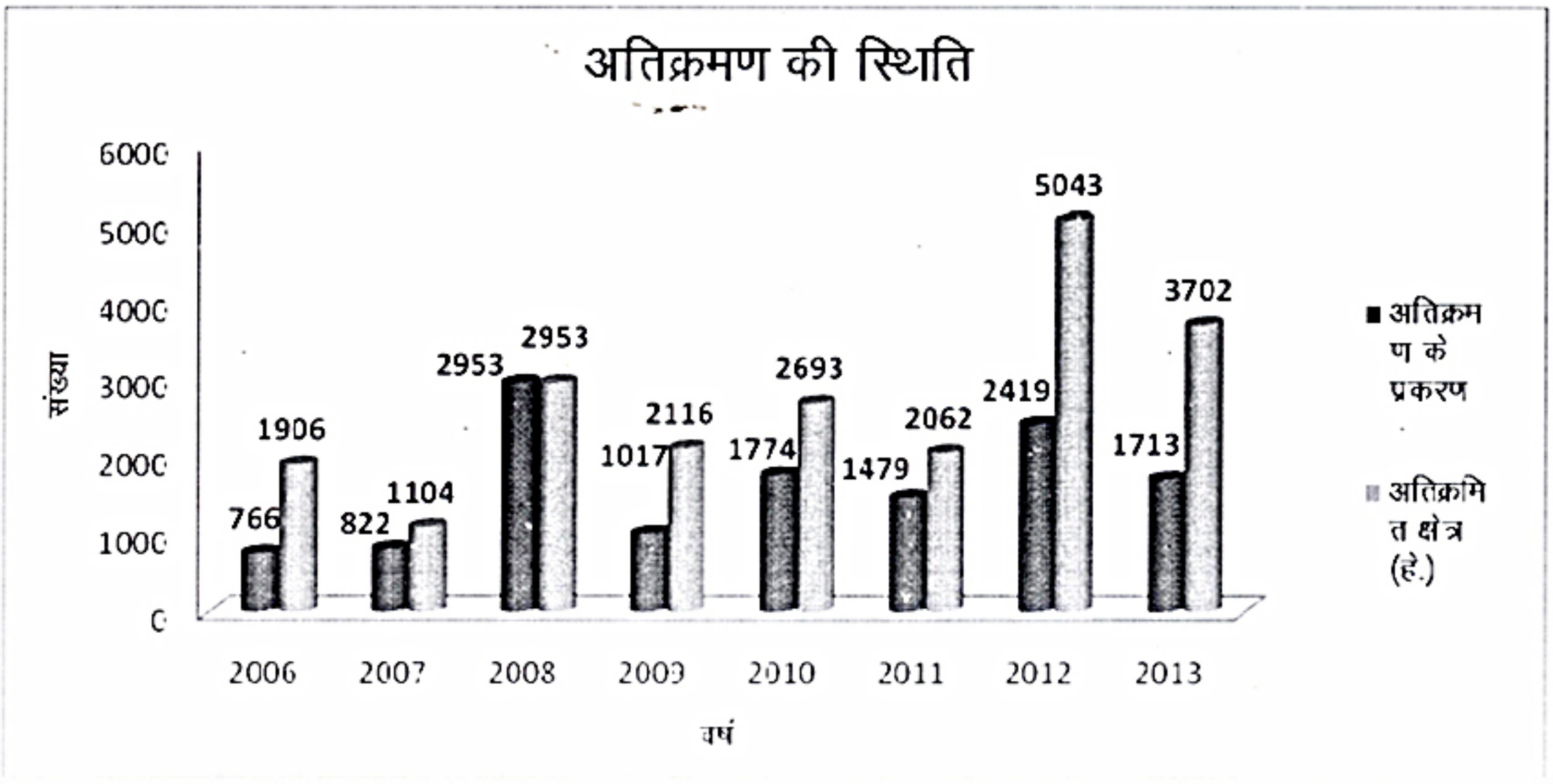

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सर्वाधिक अतिक्रमण वर्ष 2012 में हुआ जिसमें 5043 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमित हुआ और उस वर्ष कुल प्रकरणों की संख्या 2419 रही। यह भी स्पष्ट है कि अतिक्रमण के प्रयास वर्षवार घटते बढ़ते रहे हैं। वर्ष 2006, वर्ष 2008 एवं वर्ष 2012 में अतिक्रमण के प्रयासों में विगत वर्षों की अपेक्षा अचानक वृद्धि प्रकाश में आई। वर्ष 2013 में भी अतिक्रमण के काफी प्रयास हुए हैं तथा कुल 3702 हेक्टेयर क्षेत्र अतिक्रमित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में अतिक्रमण का दौर जारी है। वर्ष 2006 से वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर अधिकारों की मान्यता दिये जाने का कार्य प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 2012 में अमान्य किये गये एवं नये सिरे से पुनः आवेदन पत्र लिये जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कारणों से अप्रत्यक्ष रूप से वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को प्रोत्साहन मिला।

विगत 5 वर्षों में अतिक्रमण के औसत प्रकरणों के हिसाब से अवरोही क्रम में वृत्तों की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है :–

वृत्तवार प्रतिवर्ष औसत अतिक्रमण की स्थिति

क्रमांक	वृत्त का नाम	औसत प्रकरण	औसत अतिक्रमित वन क्षेत्र
1	शिवपुरी	1253	3403
2	खण्डवा	325	2202
3	रीवा	640	881
4	भोपाल	510	495
5	ग्वालियर	306	473
6	सागर	263	348
7	छतरपुर	142	269
8	इंदौर	232	159
9	जबलपुर	52	132
10	शहडोल	141	103
11	बैतूल	86	98
12	कूनो व.प्रा. व.म.श्योपुर	22	63
13	उज्जैन	91	58
14	सिवनी	20	29
15	छिंदवाड़ा	15	16
16	बालाघाट	17	10
17	संजय टा.रि. सीधी	13	5
18	पन्ना टा.रि. पन्ना	2	0

इससे स्पष्ट होता है कि शिवपुरी, खण्डवा, रीवा, भोपाल, ग्वालियर तथा सागर वृत्त अतिक्रमण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं।

विगत 2 वर्षों (वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013) में अतिक्रमण में अचानक तेजी आई है। जिसमें कुल 8745 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमित हुआ है। इसमें सर्वाधिक प्रभावित 20 वनमण्डलों की अतिक्रमित क्षेत्र के अवरोही क्रम में स्थिति निम्नानुसार हैं :–

अ.क्र.	वनमण्डल	अतिक्रमण के प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र (हे.)
1	गुना	1292	3306
2	बुरहानपुर	208	2281
3	सतना	377	875
4	दमोह	309	724
5	शिवपुरी	144	717
6	श्योपुर	232	678
7	उत्तर सागर	236	560
8	सीहोर	559	558
9	अशोकनगर	177	551
10	ग्वालियर	583	442
11	हरदा	208	368
12	डिण्डौरी	252	312
13	दक्षिण शहडोल	182	297
14	सिंगरौली	428	288
15	विदिशा	393	229
16	संजय टा.रि. सीधी	86	227
17	औबेदुल्लागंज	220	218
18	भोपाल	253	187
19	इंदौर	299	179
20	दक्षिण सागर	155	179

इससे स्पष्ट है कि अतिक्रमण के संबंध में अतिसंवेदनशील वनमंडल गुना, बुरहानपुर, सतना, दमोह, शिवपुरी, श्योपुर, उत्तर सागर, सीहोर तथा अशोक नगर हैं।